वर्षा पूर्व सभी आवश्यक तैयारियाँ सुनिश्चित करें : कलेक्टर

समय-सीमा पत्रों की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को दिए निर्देश

पीपुल्स प्रवक्ता, भोपाल।

कलेक्टर श्री कौशलेंद्र विक्रम सिंह की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में समय - सीमा पत्रों की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक में कलेक्टर श्री सिंह ने वर्षा ऋतु को दृष्टिगत रखते हुए समस्त संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि बाढ़ राहत सहित सभी पूर्व तैयारियाँ शीघ्र पूर्ण की जाएँ ताकि किसी भी प्रकार की आपात स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी एसडीएम अपने-अपने अनुभाग के अंतर्गत आने वाले शासकीय विद्यालयों, आंगनवाड़ी केन्द्रों एवं जर्जर भवनों का गहन सर्वेक्षण कर संभावित जोखिमों का आंकलन करें और आवश्यक सुधार कार्य एवं सतत निगरानी सुनिश्चित करें। इसके साथ ही संवेदनशील क्षेत्रों की समय रहते पहचान कर राहत दलों की पूर्व नियुक्ति, संसाधनों की उपलब्धता और आपदा से निपटने हेतु समन्वित योजना तैयार करने के निर्देश दिए।

बैठक में एडीएम श्री अंकुर मेश्राम, सभी अनुविभागीय अधिकारी एवं विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। कलेक्टर श्री सिंह ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर प्राप्त शिकायतों के त्वरित एवं प्राथमिकता के आधार पर समाधान पर विशेष बल दिया। उन्होंने कहा कि लंबित प्रकरणों का निराकरण सुनिश्चित किया जाए और जवाबदेही तय की जाए। समीक्षा बैठक के दौरान कलेक्टर श्री सिंह ने ई-केवाईसी और फार्मर रजिस्ट्री के कार्यों की प्रगति की भी समीक्षा की तथा अधिकारियों को इसमें तेजी लाने के निर्देश दिए। बैठक में हाल ही में सम्पन्न एपीसी बैठक के निर्देशों की भी समीक्षा की गई।कलेक्टर श्री सिंह ने सभी विभागों को उनके लक्ष्यों की पूर्ति के लिए सक्रियता से कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आगामी वृक्षारोपण अभियान हेतु समस्त तैयारियाँ समय पर पूर्ण कर ली जाएं और निर्धारित लक्ष्य को नियत समय-सीमा में प्राप्त किया जाए।

खंभे में उतरा करंट, एक मिनट चिपकी रही मासूम की मौत

पिता ने दिलाया था नया बैग-किताबें; कल पहली बार जाने वाली थी स्कूल

पीपुल्स प्रवक्ता, भोपाल।

भोपाल में बिजली के खंभे में करंट उतरने से एक मासूम बच्ची उसकी चपेट में आ गई। वह एक मिनट तक खंभे से चिपकी रही। पास में मौजूद दो युवकों ने फावड़े के दस्ते से किसी तरह उसे पीछे खींचा। तक तक बच्ची बेसुध हो चुकी थी। उसे हमीदिया अस्पताल ले जाया गया। जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना शाहजहांनाबाद में सोमवार दोपहर की है। बच्ची की मौत से नाराज लोगों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। पुलिस ने समझाइश देकर मामला शांत कराया। बच्ची का नाम आयशा पिता साजिद खान(5) है। पिता ने उसे शनिवार को ही नया बैग और किताबें दिलाई थी। मंगलवार से पहली बार स्कूल जाने वाली थी।आयशा सोमवार दोपहर करीब ढाई बजे खेलने के लिए घर से निकली थी। बाहर पानी भरा हुआ था और पास में एक खंभा था। आयशा ने जैसे ही उस खंभे को छुआ, उसे करंट लग गया। माता-पिता ने इसी साल उसका स्कूल में नर्सरी क्लास में एडमिशन कराया था। हालांकि एडमिशन के बाद एक भी दिन स्कूल नहीं जा सकी। एक जुलाई से उसे स्कूल भेजने की तैयारी थी। आयशा की मौत की पुष्टि के बाद स्थानीय लोगों ने विद्युत विभाग की लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा कर दिया। इसकी सूचना के बाद स्थानीय विधायक आतिफ अकील और पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए। लोगों का आरोप है कि सड़क पर पानी भरा है, खंभे पर लगे तारों में जगह-जगह कट लगे हुए हैं। बारिश में खंभा गीला था और कट लगे तारों के कारण उसमें करंट फैल गया। वहीं पुलिस ने मामले में मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है।

बैरसिया रोड, करोंद-नयापुरा में कल बिजली कटौती

भोपाल। करीब 30 इलाकों में मंगलवार को 1 से 6 घंटे तक बिजली कटौती होगी। इन इलाकों में बिजली कंपनी मेंटेनेंस करेगी। इसके चलते सप्लाई पर असर पड़ेगा। जिन इलाकों में बिजली बंद रहेगी, उनमें बैरसिया रोड, करोंद, नयापुरा, पुलिस हाउसिंग सोसायटी, बर्रई, शबरी नगर।

न्यायालय नायब तहसीलदार बैरागढ़ चीचली वृत्त तहसील कोलार भोपाल म.प्र.

प्रकरण क्र.022802032015046-APP-25449187

इश्तहार

आवेदक अमर श्रीवास्तव आ./पत्नी संतोष कुमार श्रीवास्तव निवासी 269 बन्जारी कोलार भोपाल द्वारा ग्राम बन्जारी स्थित खसरा नंबर 281, क्षेत्रफल 0.4000 का विक्रयपत्र के आधार पर नामान्तरण किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अतएव आवेदक के उपरोक्त आवेदन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था को आपत्ति हो तो इस इश्तहार के जारी होने के दिनांक 15/7/2025 के भीतर इस न्यायालय में स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। समयावधि पश्चात आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 30/06/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

तहसीलदार तहसील कोलार जिला-भोपाल

न्यायालय नायब तहसीलदार बैरागढ़ चीचली वृत्त तहसील कोलार भोपाल म.प्र.

प्रकरण क्र.022802032015061-APP-25449424

इश्तहार

आवेदक आशा किरण गौर आ./पत्नी अमर श्रीवास्तव निवासी 262 दामखेड़ा कोलार भोपाल द्वारा ग्राम दामखेड़ा स्थित खसरा नंबर 71/2, क्षेत्रफल 1.6190 का विक्रयपत्र/फौती/वसीयतनामा के आधार पर नामान्तरण किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अतएव आवेदक के उपरोक्त आवेदन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था को आपत्ति हो तो इस इश्तहार के जारी होने के दिनांक 17/7/2025 के भीतर इस न्यायालय में स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। समयावधि पश्चात आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 30/06/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

तहसीलदार तहसील कोलार जिला-भोपाल

न्यायालय नायब तहसीलदार, तहसील -कोलार, जिला भोपाल

प्रकरण क्रमांक /अ-6/2024-25

उद्घोषणा पत्र

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है आवेदक रंजीत सिंह नरवरिया पत्नी हाकिम सिंह नरवरिया भोपाल आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 109-110 मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर लेख किया है कि ग्राम- बागसेवनिया स्थित भूमि खसरा क्रमांक 253, 254, 267 के अंश भाग पर आवासीय प्लॉट क्रमांक 73, 74 जिसका क्षेत्रफल 84.10 वर्गमीटर का रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर नामातरण किये जाने हेतु निवेदन किया है।

उक्त संबंध में किसी व्यक्ति / संस्था को कोई आपत्ति हो तो वह 15 दिवस के अंदर इससे पूर्व इस न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है। समयावधि पश्चात् प्रस्तुत किसी भी आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

उक्त उद्घोषणा पत्र मेरे द्वारा न्यायालय की पदमुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक / / 2025 को जारी किया गया।

नायब तहसीलदार तहसील-कोलार जिला भोपाल

न्यायालय तहसीलदार वृत्त-3 तहसील-हुजूर जिला भोपाल

प्रकरण क्रमांक-2205/अ-6/2025-2026
मौजा-भौंरी तहसील हुजूर, भोपाल

::: उद्घोषणा पत्र :::

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्रीमती मैनाबाई जैन पत्नी स्व. श्री गुलाबचन्द जैन निवासी ई-46 बी डी ए कालोनी कोहेफिजा भोपाल ने द्वारा म.प्र.भू.रा. संहिता 1959 की धारा 109, 110 के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दस्तावेज ई पंजीयन क्रमांक-3314/8 दिनांक 17/10/2008 के आधार पर क्रय की गई भूमि खसरा क्रमाक 507/1/1,510/2,511/1 कुल रकबा 1.534 हे. में से 23824 वर्गफिट भूमि ग्राम भौंरी प.ह.न. तहसील हुजूर जिला भोपाल का नामांतरण राजस्व अभिलेखों में आवेदक के नाम स्वीकृत किए जाने का अनुरोध किया गया है।

2-उक्त संबंध में किसी व्यक्ति /संस्था को कोई आपति हो तो वह अपनी आपत्ति स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से प्रकरण में नियत पेशी दिनांक 15.07.2025 को या इससे पूर्व इस न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है। समयावधि पश्चात प्रस्तुत किसी भी आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

उक्त उद्घोषणा पत्र मेरे द्वारा न्यायालय की पदमुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 30.06.2025 को जारी किया गया।

तहसीलदार तहसील हुजूर भोपाल

न्यायालय तहसीलदार वृत्त -3 तहसील-हुजूर, जिला भोपाल

प्रकरण क्रमांक-0023/ अ-3/2025-2026
मौजा- खुरचनी

::: उद्घोषणा पत्र :::

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है आवेदकगण डॉ जयंती यादव पत्नी श्री मेजर विजय कुमार यादव निवासी 17 एक्टेंशन सुरभी मोहनी होम्स बरखेड़ा पठानी भोपाल म.प्र. के द्वारा भू राजस्व सहिता 1959 के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर ग्राम खुरचनी म.प्र. के द्वारा भू. राजस्व सहिता 1959 के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर ग्राम खुरचनी प.ह.न. भूमि खसरा क्रमांक 677/4/1 रकबा 0.1810 हे. भूमि पर जयंवी यादव/विजय कुमार हिस्सा 0299/1810 एंव श्यामलाल पिता देवीलाल हिस्सा 1511/1810 का नाम दर्ज है एंव श्यामलाल पिता देवी लाला- हिस्स 15/11/1810 का नाम दर्ज है भूमि का राजस्व नक्शे बटान अंकित करने का अनुरोध किया है

2- उक्त संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से पेश कर सकता है। समयावधि पश्चात् प्रस्तुत आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। प्रकरण में आगामी कार्यवाही हेतु पेशी दिनांक 11/07/2025 नियत की जाती है।

तहसीलदार तहसील- हुजूर भोपाल

न्यायालय तहसीलदार वृत्त -3 तहसील-हुजूर, जिला भोपाल

प्रकरण क्रमांक-902/ अ-6/2025-2026
मौजा- छापरी तहसील हुजूर, भोपाल

::: उद्घोषणा पत्र :::

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्रीमती पुष्पा सोंलकी पत्नि श्री मुरलीधर सोलंकी निवासी पुरानी बस्ती निवास तहसील निवास जिला मण्डला ने द्वारा म.प्र.भू. रा. संहिता 1959 की धारा 109, 110 के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दस्तावेज ई पंजीयन क्रमांक - 961 दिनांक 17/07/2009 के आधार पर क्रय की गई भूमि खसरा क्रमांक 52/1/1/1 कुल रकबा मे से 1000 वर्गफिट भूमि ग्राम छापरी प.ह.न. तहसील हुजूर जिला भोपाल का नामांतरण राजस्व अभिलेखों में आवेदक के नाम स्वीकृत किए जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उक्त संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था को कोई आपति हो तो वह अपनी आपत्ति स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से प्रकरण में नियत पेशी दिनांक 17.07.2025 को या इससे पूर्व इस न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है। समचयावधि पश्चात् प्रस्तुत किसी भी आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

उक्त उद्घोषणा पत्र मेरे द्वारा न्यायालय की पदमुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 30.06.2025 को जारी किया गया।

तहसीलदार तहसील- हुजूर भोपाल

न्यायालय नायब तहसीलदार बैरागढ़ चिचली वृत तहसील कोलार जिला भोपाल म. प्र.

प्रकरण क्र. RS/444/0760/12631/ 2025

इश्तहार

आवेदक बेबी पाटीदार/पत्नि श्री राजेन्द्र पाटीदार निवासी ई-8/166 भरत नगर, अरेरा कालोनी भोपाल द्वारा ग्राम सलैया स्थित खसरा नंबर 193, 194,195/215, 171, 173, 174 व अन्य पर मकान नं. ई-14 क्षेत्रफल 106.75 वर्गमीटर का दान पत्र फौती/वसीयतनामा के आधार पर नामांतरण किये जाने का आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अतएव आवेदक के उपरोक्त आवेदन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था को आपत्ति हो तो इस इश्तहार के जारी होने के दिनांक 15/07/25 के भीतर इस न्यायालय में स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। समयावधि पश्चात आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 30/06/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

अतिरिक्त तहसीलदार तहसील कोलार जिला भोपाल

न्यायालय नायब तहसीलदार बैरागढ़ चिचली वृत तहसील कोलार जिला भोपाल म. प्र.

प्रकरण क्र. RS/444/0760/10758/25

इश्तहार

आवेदक रितुला वर्मा आ./पत्नि रितेश कुमार वर्मा निवासी ग्राम पिपलिया केशो कोलार द्वारा ग्राम पिपलिया केशो स्थित खसरा नंबर 3,5,6,7 व अन्य का अंश भाग क्षेत्रफल 1125 व 150 का विक्रयपत्र/फौती/वसीयतनामा के आधार पर नामांतरण किये जाने का आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अतएव आवेदक के उपरोक्त आवेदन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था को आपत्ति हो तो इस इश्तहार के जारी होने के दिनांक 15/07/25 के भीतर इस न्यायालय में स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। समयावधि पश्चात आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 30/06/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

अतिरिक्त तहसीलदार तहसील कोलार जिला भोपाल

न्यायालय तहसीलदार वृत्त -3 तहसील-हुजूर, जिला भोपाल

प्रकरण क्रमांक 1003/अ-6/2025-2026
मौजा-झागरिया खुर्द तहसील हुजूर, भोपाल

::: उद्घोषणा पत्र :::

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक डॉ बबीता रघुवंशी आत्मज श्री एस एस रघुवंशी होशांगाबाद रोड भोपाल ने द्वारा म.प्र.भू.रा. संहिता 1959 की धारा 109, 110 के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दस्तावेज ई पंजीयन क्रमांक 460/5 दिनांक 31/03/2011 के आधार पर क्रय की गई भूमि खसरा क्रमाक 402, 403, 404, 405/1, 406 कुल रकबा मे से 489.30 वर्गमीटर भूमि ग्राम झागरिया खुर्द प.ह.न. तहसील हुजूर जिला भोपाल का नामांतरण राजस्व अभिलेखों में आवेदक के नाम स्वीकृत किए जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उक्त संबंध में किसी व्यक्ति /संस्था को कोई आपति हो तो वह अपनी आपत्ति स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से प्रकरण में नियत पेशी दिनांक 15.07.2025 को या इससे पूर्व इस न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है। समचयावधि पश्चात् प्रस्तुत किसी भी आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

उक्त उद्घोषणा पत्र मेरे द्वारा न्यायालय की पदमुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 30.06.2025 को जारी किया गया।

तहसीलदार तहसील- हुजूर भोपाल

प्रारूप - दस
(नियम 7 देखिये)

न्यायालय तहसीलदार, नजूल संत हिरदाराम नगर (बैरागढ)- वृत्त, भोपाल
(पुराना जिला पंचायत भवन, कोहेफिजा जिला भोपाल)

रा.प्र.क्र. 0457/अ-6/2024-25

:: सार्वजनिक नोटिस ::

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित अनुसूची में उल्लेख अनुसार भू-अभिलेखों में नामांतरण की कार्यवाही इस न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। कोई भी हितबद्ध व्यक्ति दिनांक **9/07/25** को समय दोपहर 03.00 बजे स्थान न्यायालय तहसीलदार नजूल संतहिरदाराम नगर बैरागढ़ वृत्त भोपाल के समक्ष स्वयं या अपने अधिवक्ता, जिसे सम्यक रूप से अनुदेश दिये गये हों, या वैध प्रतिनिधि के द्वारा उपस्थित होकर विचाराधीन नामांतरण के संबंध में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। नियत दिनांक के बाद प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

अनुसूचीः- 1. ग्राम का नाम-लाऊखेडी, 2. खसरा नंबर-103/2/1/1, 3. क्षेत्रफल-0.1120 हेक्टेयर, 4. उस व्यक्ति/ व्यक्तियों का विवरण जिनके पक्ष में नामांतरण/विचाराधीन है (आवेदक का नाम, पिता/पति का नाम एवं पता) रणजीत सिंह छोकर/गिरिज सिंह छोकर।

आज दिनांक 30/06/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के अधीन जारी किया गया।

तहसीलदार नजूल संत हिरदाराम नगर, (बैरागढ़)- वृत्त भोपाल

नाम परिवर्तन सूचना

मैं राम चन्दर पिता बाबूलाल निवासी-झलकी सीहोर म.प्र. यह कि मेरी पुत्री के आधार कार्ड में त्रुटिवश उसका नाम किरन कुमारी (Kiran Kumari) दर्ज हो गया है जो कि गलत है जबकि मेरी पुत्री का सही नाम कल्पना वर्मा (Kalpana Verma) पुत्री- राम चन्दर वर्मा (Ram Chandar Verma) है जो कि मेरी पुत्री के जन्म प्रमाण पत्र में भी दर्ज है। अतः राजपत्र में प्रकाशन उपरांत मेरी पुत्री को उसके सही नाम कल्पना वर्मा (Kalpana Verma) पुत्री - राम चन्दर वर्मा (Ram Chandar Verma) के नाम से जाना पहचाना एवं लिखा पढ़ा दर्ज किया जावे।

प्रार्थी
राम चन्दर

नाम परिवर्तन सूचना

मैं उजमा पत्नि श्री मकसूद अली निवासी-बिलकिसगंज झागरिया जिला सीहोर म.प्र.। यह कि मेरी पुत्री के आधार कार्ड में त्रुटिवश उसका नाम अनाइजा अली (Anaeeja Ali) दर्ज हो गया है जो कि गलत है जबकि मेरी पुत्री का सही नाम उमरा अली (Umra Ali) पुत्री - मकसूद अली (Maksood Ali) है जो कि मेरी पुत्री के जन्म प्रमाण पत्र में भी दर्ज है। अतः राजपत्र में प्रकाशन उपरांत मेरी पुत्री को उसके सही नाम उमरा अली (Umra Ali) पुत्री - मकसूद अली (Maksood Ali) के नाम से जाना पहचाना एवं लिखा पढ़ा दर्ज किया जावे।

प्रार्थी
उज़मा

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार वृत्त-2, तहसील हुजूर जिला भोपाल

प्रकरण क्रमांक 0800/अ-6/2025-26
ग्राम पिपलिया बाज खॉ प.ह.नं. 26
दिनांक / / 2025

::: ईश्तहार :::

सर्वसाधरण श्री कमलेश कुमार चौबे आ. स्व. श्री पूरनलाल चौबे निवासी- मकान नं. 14 डरू भोडेला मोहल्ला झांसी उ.प्र. हालमुकाम- करोंद भोपाल (म.प्र.), ने म.प्र.भू.रा.संहिता 1959 की धारा 109, 110 के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दस्तावेज क्रमांक 1/3921 दिनांक 28.09.2012 के आधार पर क्रय की गई भूमि खसरा क्रमांक 20/1 रकबा 0.655 हे. के अंश भाग मे से रकबा 1625 वर्गफिट भूमि स्थित ग्राम पिपलिया बाज खॉं प.ह.न.26 तहसील हुजूर, जिला भोपाल का नामांतरण राजस्व अभिलेखों में आवेदक के नाम स्वीकृत किए जाने का अनुरोध किया है। आवेदक ने आवेदन पत्र के साथ, रजिस्टर्ड विक्रय पत्र की छायाप्रति एवं अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं। प्रकरण के निराकरण की अंतिम समय सीमा दिनांक 09/06/2025 है। जिसका प्रकरण न्यायालय में विचारधीन है।

उक्त सबंध में किसी व्यक्ति /संस्था को कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति स्वंय अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से पेश कर सकता है। समयावधि पश्चात आपत्ति पर कोई विचार नही किया जायेगा। प्रकरण में आगामी कार्यवाही हेतु दिनांक 09/07/2025 नियत है।

उक्त उद्घोषणा मेरे द्वारा न्यायालय की पदमुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 30/06/2025 को जारी किया गया है।

तहसीलदार तहसील हुजूर भोपाल

न्यायालय नायब तहसीलदार, तहसील -कोलार, जिला भोपाल

प्रकरण क्रमांक 0834/अ-6/2024-25

//इश्तहार//

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है प्रकरण का संक्षिप्त विवरण आवेदक मनीष मालवीय आत्मज नन्दलाल रजक निवासी- भोपाल मप्र ने आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 109-110 मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर लेख किया है कि ग्राम जाटखेडी स्थित भूमि खसरा क्रमांक 39/1/1/1, 40, 41/1, 42/2/1/2, 43 व अन्य खसरो के अंश भाग पर स्थित भूखण्ड क्रमांक-686 का क्षेत्रफल 167.40 वर्गमीटर का रजिस्टर्ड/ विक्रय पत्र क्रमांक एमपी059702020ए1515441 दिनांक 26/08/2020 के आधार पर नामान्तरण किए जाने का आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

इस संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था को आपत्ति हो तो वह इस इश्तहार के जारी होने के 15 दिन के भीतर इस न्यायालय में स्वंय अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से आपत्ति प्रस्तुत करे। समयावधि पश्चात् आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 27/06/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

नायब तहसीलदार तहसील-कोलार जिला भोपाल

न्यायालय नजूल अधिकारी नरसिंहपुर

सार्वजनिक उद्घोषणा

रा.मा.क्र. /अ-20 (1)/सन्-2025-26

एतद द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित अनुसूची में उल्लेख अनुसार फौती के आधार पर नामांतरण की कार्यवाही इस न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। कोई हितबद्ध व्यक्ति दिनांक 16/07/2025 को प्रातः 11 बजे स्थान नरसिंहपुर में इस न्यायालय के समक्ष या स्वंय या अपने अधिवक्ता जिसे सम्यक रूप से अनुदेश दिये गये हों या वैध प्रतिनिधि के द्वारा उपस्थित होकर विचाराधीन प्रकरण के संबंध में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। नियत दिनांक के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

अनुसूची

नजूल शीट क्र.	नगरीय क्षेत्र का नाम	प्लाट क्र.	रकबा	विद्यमान अभिलेख में धारक/ धारकों के नाम /पिता/माता का नाम पूर्ण नाम पता	उस व्यक्ति/व्यक्तियों का नाम/पिता /माता का नाम पूर्ण नाम पता जिनके पक्ष में प्रकरण विचाराधीन है
05	कंदेली	01	391 वर्गफुट	हरीशंकर आ. कन्हैयालाल लालवानी सा. रामवार्ड करेली तहसील करेली	हरीशंकर आ. कन्हैयालाल लालवानी सा. रामवार्ड करेली तहसील करेली

इश्तहार आज दिनांक 27/6/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पदमुद्रा के अधीन जारी किया गया।

नजूल अधिकारी नरसिंहपुर

न्यायालय नजूल अधिकारी नरसिंहपुर

सार्वजनिक उद्घोषणा

रा.मा.क्र. /अ-20 (1)/वर्ष-2025-26

एतद द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित अनुसूची में उल्लेख अनुसार फौती के आधार पर नामांतरण की कार्यवाही इस न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। कोई हितबद्ध व्यक्ति दिनांक 09/07/2025 को प्रातः 11 बजे स्थान नरसिंहपुर में इस न्यायालय के समक्ष या स्वंय या अपने अधिवक्ता जिसे सम्यक रूप से अनुदेश दिये गये हों या वैध प्रतिनिधि के द्वारा उपस्थित होकर विचाराधीन प्रकरण के संबंध में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। नियत दिनांक के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

अनुसूची

नजूल शीट क्र.	नगरीय क्षेत्र का नाम	प्लाट क्र.	रकबा	विद्यमान अभिलेख में धारक/ धारकों के नाम /पिता/माता का नाम पूर्ण नाम पता	उस व्यक्ति/व्यक्तियों का नाम/पिता /माता का नाम पूर्ण नाम पता जिनके पक्ष में प्रकरण विचाराधीन है
06	करेलीगंज	46/2 47/2	108 वर्गफुट 91.19 वर्गफुट	विजय कुमार आ. कोमलचंद अग्रवाल निवासी करेली गंज	विजय कुमार आ. कोमलचंद अग्रवाल निवासी करेली गंज

इश्तहार आज दिनांक 25/6/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पदमुद्रा के अधीन जारी किया गया।

नजूल अधिकारी नरसिंहपुर

न्यायालय नजूल अधिकारी नरसिंहपुर

सार्वजनिक उद्घोषणा

रा.मा.क्र. /अ-20 (1)/वर्ष-2025-26

एतद द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित अनुसूची में उल्लेख अनुसार फौती के आधार पर नामांतरण की कार्यवाही इस न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। कोई हितबद्ध व्यक्ति दिनांक 09/07/2025 को प्रातः 11 बजे स्थान नरसिंहपुर में इस न्यायालय के समक्ष या स्वंय या अपने अधिवक्ता जिसे सम्यक रूप से अनुदेश दिये गये हों या वैध प्रतिनिधि के द्वारा उपस्थित होकर विचाराधीन प्रकरण के संबंध में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। नियत दिनांक के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

अनुसूची

नजूल शीट क्र.	नगरीय क्षेत्र का नाम	प्लाट क्र.	रकबा	विद्यमान अभिलेख में धारक/ धारकों के नाम /पिता/माता का नाम पूर्ण नाम पता	उस व्यक्ति/व्यक्तियों का नाम/पिता /माता का नाम पूर्ण नाम पता जिनके पक्ष में प्रकरण विचाराधीन है
06	करेलीगंज	46/6/2 47/7	105 वर्गफुट 67.78 वर्गफुट	अजय कुमार आ. कोमलचंद अग्रवाल निवासी करेली गंज	अजय कुमार आ. कोमलचंद अग्रवाल निवासी करेली गंज

इश्तहार आज दिनांक 25/6/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पदमुद्रा के अधीन जारी किया गया।

नजूल अधिकारी नरसिंहपुर

न्यायालय नजूल अधिकारी नरसिंहपुर

सार्वजनिक उद्घोषणा

रा.मा.क्र. /अ-20 (1)/वर्ष-2025-26

एतद द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित अनुसूची में उल्लेख अनुसार फौती के आधार पर नामांतरण की कार्यवाही इस न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। कोई हितबद्ध व्यक्ति दिनांक 09/07/2025 को प्रातः 11 बजे स्थान नरसिंहपुर में इस न्यायालय के समक्ष या स्वंय या अपने अधिवक्ता जिसे सम्यक रूप से अनुदेश दिये गये हों या वैध प्रतिनिधि के द्वारा उपस्थित होकर विचाराधीन प्रकरण के संबंध में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। नियत दिनांक के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

अनुसूची

नजूल शीट क्र.	नगरीय क्षेत्र का नाम	प्लाट क्र.	रकबा	विद्यमान अभिलेख में धारक/ धारकों के नाम /पिता/माता का नाम पूर्ण नाम पता	उस व्यक्ति/व्यक्तियों का नाम/पिता /माता का नाम पूर्ण नाम पता जिनके पक्ष में प्रकरण विचाराधीन है
06	करेलीगंज	46/8 47/9	201.33 वर्गफुट	संतोष कुमार आ. कोमलचंद अग्रवाल निवासी करेली गंज	संतोष कुमार आ. कोमलचंद अग्रवाल निवासी करेली गंज

इश्तहार आज दिनांक 25/6/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पदमुद्रा के अधीन जारी किया गया।

नजूल अधिकारी नरसिंहपुर

न्यायालय नजूल अधिकारी नरसिंहपुर

सार्वजनिक उद्घोषणा

रा.मा.क्र. /अ-20 (1)/वर्ष-2025-26

एतद द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित अनुसूची में उल्लेख अनुसार फौती के आधार पर नामांतरण की कार्यवाही इस न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। कोई हितबद्ध व्यक्ति दिनांक 09/07/2025 को प्रातः 11 बजे स्थान नरसिंहपुर में इस न्यायालय के समक्ष या स्वंय या अपने अधिवक्ता जिसे सम्यक रूप से अनुदेश दिये गये हों या वैध प्रतिनिधि के द्वारा उपस्थित होकर विचाराधीन प्रकरण के संबंध में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। नियत दिनांक के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

अनुसूची

नजूल शीट क्र.	नगरीय क्षेत्र का नाम	प्लाट क्र.	रकबा	विद्यमान अभिलेख में धारक/ धारकों के नाम /पिता/माता का नाम पूर्ण नाम पता	उस व्यक्ति/व्यक्तियों का नाम/पिता /माता का नाम पूर्ण नाम पता जिनके पक्ष में प्रकरण विचाराधीन है
06	करेलीगंज	46/7 47/8	111 वर्गफुट 47.70 वर्गफुट	संतोष कुमार आ. कोमलचंद अग्रवाल निवासी करेली गंज	संतोष कुमार आ. कोमलचंद अग्रवाल निवासी करेली गंज

इश्तहार आज दिनांक 25/6/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पदमुद्रा के अधीन जारी किया गया।

नजूल अधिकारी नरसिंहपुर